न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकु

उनवान कल्लूराम बनाम बब्बू वगै0

वाद संख्या–211/2016

दिनांक निर्णय–29.11.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादी कल्लूराम पुत्र भगवान सहाय जाति जोगी निवासी कालेड तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 07.12.2016 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम कालेड पटवार हल्का झाझीरामपुरा तह0 बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 100 पुरानी 90 ख0 नं0 498 रकबा 0.34 है0, ख0 नं0 559 रकबा 0.14 है0, ख0 नं0 560 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वार्षिक लगानी 18.92 रूपयें स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 3 के मनमें अब बदयान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वे भूमि का बिना विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा हुये ही दीगर लोगो को रहन बय करके खुर्द बुर्द करने की तैयारी में लगे हुये है तथा ऐलानियां कह रहे है कि हम वादी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर काश्त नही करने देगे तथा खाम व पुख्ता निमार्ण करके कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित कर देगें। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 3 व 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने ऐजेन्टो नौकरों घरवालों या अन्य मददगारान के भूमि मुदाविया या उसके किसी भी भू–भाग को किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से, खाम पुख्ता निमार्ण करने से, ऋण आदि लेने से, कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने से, वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से पाबंद रहें एवं प्रतिवादी सं0 12 भूमि मुतदाविया की बाबत प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

किसी भी रहननामा व बयनामा को पंजीकृत करने से पाबंद रहें। भूमि मुतदाविया व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनायें रखें।

भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 100 पुराना 92 ख0 नं0 498, 559, 560 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके कालेड़ तहसील बसवा का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी का अलग चक व अलग खाता व अलग पास बुके जारी की जावे व अलग लगान कायम किया जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 3 व 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की भूमि विवादित ख0 नं0 498, 559, 560 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके कालेड तहसील बसवा को जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय रहन करने, पुख्ता निर्माण करने, पेडो को काटने, छांगने से, तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने से प्रतिबंधित रहें एवं प्रतिवादी संख्या 12 भूमि मुतदाविया की बाबत प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा व बयनामा को पंजीकृत करने से प्रतिबंधित रहे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दिनांक 27.03.2017 को न्यायालय में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। दोनो पक्ष विवादित भूमि का तकास्मा कराया जाना उचित समझते है तथा सहमति से बंटवारा किये जाने हेतु हस्ताक्षर किये गयें।

अतः दोनो पक्षो को सुनने एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आ0 ख0 नं0 498, 559, 560 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके कालेड तहसील बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
कल्लूराम मुकेश पि0 भगवानसहाय उगन्ती देवी राजन्ती देवी पुत्री भगवान सहाय हि0 ब0 जाति जोगी	559/2 498/2 498/7	0.0350 0.0200 0.0225
	किता 3	0.0775 है0
बब्बू पि0 अर्जुननाथ जाति जोगी	559/4 498/1 498/8	0.0350 0.0200 0.0225
	किता 3	0.0775 है0
गोकल पि0 अर्जुननाथ जाति जोगी	559/1 498/4 498/5	0.0350 0.0200 0.0225
	किता 3	0.0775 है0
रामकरण पि0 अर्जुननाथ जाति जोगी	559/3 498/3 498/6	0.0350 0.0200 0.0225
	किता 3	0.0775 है0
रामेश्वर रामजीलाल लिछमन पि0 रेवडनाथ अमरी पत्नि स्व0 रेवडनाथ जाति जोगी	498/9 560	0.1700 0.1400
	किता 2	0.3100 है0

तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरेजात पर वादी द्वारा कुरेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र उचित प्रतित नही होने से खारिज किया गया तथा तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरेजात अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात निर्णय का भाग रहेंगे। कुरेजात अनुसार वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/11/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)